

अनुमंडल दण्डाधिकारी का न्यायालय खोरीमहुआ (गिरिडीह)

वाद संख्या : 101/2022

(दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत)

प्रदीप राम

-: बनाम :-

रामरूप साव वगैरह

दिनांक

आदेश

अभियुक्ति


29.5.22

थाना प्रभारी, जमुआ के प्रतिवेदन के आलोक में पक्षकारों को सूचित कर मौजा मिर्जागंज, थाना सं. 334, खाता संख्या 42, प्लॉट संख्या 138, रकवा 72 डिस्मील भूमि को लेकर जारी विवाद के संबंध में सुनवाई प्रारंभ की गई। निर्धारित अवधि में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रारंभ किए गये इस वाद में पक्षकारों को सुनना संभव नहीं हो पाया।

अतः इस काल बाधित कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित


अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खोरीमहुआ।


अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खोरीमहुआ।